प्रकाशनार्थ **26–11–2016**

कानपुर 26 नवम्बर, 2016 **सायं 04:00 बजे से** मर्चेन्टस चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश **तथा** कानपुर पंचायत तथा के **संयुक्त** तत्वावधान में संविधान दिवस – 2016 के अवसर पर **लोकतंत्र की कसौटी पर भारतीय संविधान के 67 वर्ष** विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी की अध्यक्षता श्री पदम् कुमार जैन, अध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व गोष्ठी का संचालन श्री धरम प्रकाश गुप्ता जी ने किया।

श्री शिवा कान्त दिक्षित, ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि संविधान का प्रिएम्बल, जिसमें "We the People of India……." लिखा हुआ है, की भावना को विधायक व सांसद भुलाकार "You the People of India……." समझने लगते है, तथा संविधान की मूल भावना को भूल रहे है। संविधान में वर्णित मूल अधिकार व कर्तव्य को भी याद रखना चाहिए।

श्री धरम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि संविधान में दलीय निष्ठा या विप का वर्णन नहीं है।

डॉ. ए.के वर्मा, ने कहा कि संविधान में जो वर्णित किया गया है उसके अनुसार लोगो व प्रतिनिधियों दोनों का विश्लेषण किया जाए तो यह समाने आयेगा कि भारत में जब चुनाव होते है और लोग जिन प्रतिनिधियों को चुनकर देश के सदन पर भेजते है तो वह प्रतिनिधि समस्या के समाधान में किस तरह से काम आते है या नहीं आते है। उन्होंने कहा कि क्या देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार नहीं देता और उनके लिए तथा जनसाधारण के लिए अलग-अलग नियम है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र एक राजनितिक अवधारणा है और संविधान एक विधिक यंत्र है हमें राजनितिक संस्कृति को विकसित करना होगा तथा लोकतंत्र कि मजबूती के लिए न्यायपालिका का कार्य भी पारदर्शी होने की आवश्यकता है।

डॉ. जे.एन.गुप्ता ने कहा कि आरम्भ में आरक्षण को सिर्फ पंद्रह वर्षों के लिये लागू किया गया था परन्तु अब किसी भी राजनितिक पार्टी के लिए मुश्किल का विषय बन गया है कि आरक्षण का विषय कब तक चलेगा जिसकी अवधि कि कोई सीमा भी नहीं है।

डॉ. अलका दिक्षित ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान ने भारत के लोगो को काफी कुछ दिया है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी आवाश्यक होती है।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि लोकतंत्र सिकुड़ सा गया है इसलिए इसको पुनः गतिशील करने के लिए गावों व मजदूरों के स्तर से ही मतदाता प्रशिक्षण का कार्य शुरू करना होगा और यह भी कहा जाए कि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि का चुनाव किसी भी विशेष जाति, वर्ग, धरम, या समुदाय

आधार पर नही होना चाहिए वरन ऐसा आदर्श प्रतिनिधि हो, जो सक्षम हो और जनता की समस्या को समाधान के स्तर तक ले जा सके।

श्री पदम् कुमार जैन ने अपने धन्यवाद-ज्ञापन में कहा कि लोकतंत्र के तीन स्तम्भ होते है, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। जहाँ तक राजनतिक स्तम्भ कि बात है उसमें तो काफी चर्चा हो चुकी है परन्तु आर्थिक स्तम्भ अभी भी एक सवाल है समाज में आर्थिक विषमताएं इतनी अधिक है कि संविधान इन विषमताओं को रोकने में अछम रहा है । उन्होंने बताया कि देश का साठ प्रतिशत सम्पति एक प्रतिशत धनाड्य वर्गों के पास है और इस विषमता में हमारा देश दुनिया के दूसरे स्थान पर आता है। गोष्ठी के अन्त में यह विचार रखा गया कि अगली गोष्ठी आर्थिक विषमता पर की जायेगी। जिसका लिये आप सबको पुनः सुचना प्रेषित की जाएगी।

सभा में उपस्थित गणमान्य: श्री जगदम्बा भाई, श्री आकर्षण तिवारी, श्री राम किशोर बाजपेयी, डॉ. अंकित गुप्ता, श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव, श्री अवध बिहारी मिश्रा, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश तथा कानपुर पंचायत के सदस्यगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश
व
कानपुर पंचायत